माननीय *एस.एस. संधावलिया, सी.जे. और*

आई.एस. तिवाना, जे. के समक्ष

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़,-अपीलकर्ता

बनाम

सरदारा सिंह, प्रतिवादी.

1981 का सीएम 305-सीएल

आर.एफ.ए. में 1980 की संख्या 148.

29 मई 1981.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का 1) - धारा 26, 27, 53, 54 और 56 - सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - धारा 2(2) और (9), 35, 122 और 125 - उच्च न्यायालय नियम और आदेश, खंड V, मंत्र 6-1, नियम 1, 8 और 12-भूमि अधिग्रहण मामलों में कार्यवाही-क्या लागत का ज्ञापन तैयार करने के उद्देश्य से एक मुकदमे के बराबर किया जाना चाहिए-ऐसी कार्यवाहियों में वकील की फीस का आकलन और मात्रा निर्धारण- क्या यह उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के नियम 1 द्वारा विनियमित है। खंड V, अध्याय 6-1-इन कार्यवाही में शामिल दावा-क्या उक्त नियम के अर्थ के भीतर 'संपत्ति' है।

माना गया कि 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम I की धारा 18 के तहत एक आवेदन को एक वादपत्र के रूप में माना जाना चाहिए और इसके आधार पर कार्यवाही को मुकदमे में कार्यवाही के रूप में और परिणामी पुरस्कार को एक डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए। लागत का ज्ञापन तैयार करते समय वकील की फीस निर्धारित करने या गणना करने के प्रयोजनों के लिए, भूमि अधिग्रहण मामले में इस न्यायालय के एक डिक्री को विशिष्ट संपत्ति के लिए एक मुकदमे में पारित किया गया माना जाएगा और अध्याय 6-1 में निहित नियम उपरोक्त उद्देश्य के लिए इस

तरह के डिक्री से संबंधित उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V का सहारा लेना होगा। यह पूरी तरह से अस्थिर है कि इन डिक्री को उपरोक्त नियमों के नियम 8 के संदर्भ में विविध कार्यवाही में डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए। वास्तव में नियम 8 केवल डिक्री पारित होने से पहले किसी मुकदमे में विविध कार्यवाही पर लागू होता है, डिक्री पर नहीं।

(अनुच्छेद 10)

माना जाता है कि 'संपत्ति' में ऋण और कार्रवाई में चुनी गई रकम शामिल होगी, या दूसरे शब्दों में वह राशियां शामिल होंगी जिनका दावा अदालत के माध्यम से लागू करने योग्य कानूनी अधिकार के आधार पर किया जा सकता है। वास्तव में, 'संपत्ति' शब्द को उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V के अध्याय 6-1 में निहित नियम 1 के संदर्भ में एक अलग अर्थ नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अर्जित भूमि के मुआवजे का दावा इस नियम में प्रयुक्त 'संपत्ति' के अर्थ में आएगा। (पैरा 9)

31 मार्च, 1981 को माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एस. तिवाना द्वारा मामला 29 मई, 1981 तारीख को अपील की लागत के निर्धारण पर निर्णय लेने के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एस. तिवाना और माननीय मुख्य न्यायाधीश एस.एस. संधवालिया की एक बड़ी पीठ को भेजा गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि अपील की लागत के निर्धारण से संबंधित कागजात माननीय न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं, जिन्होंने अन्य अपीलों के साथ उपरोक्त अपील का फैसला किया ताकि मामले का फैसला न्यायिक पक्ष में किया जा सके।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ए.एस. चहल।

चंडीगढ़ प्रशासन के वकील आर.के. छिब्बर।

एम. जे. सेठी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब।

एस, के, गोयल, वकील, हरियाणा राज्य के लिए।

निर्णय

1. एस. तिवाना, जे.

(1) कानून का संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर इस पीठ द्वारा एक संदर्भ पर विचार करने की आवश्यकता है वह इस प्रकार है:

"उच्च न्यायालय के नियम और आदेश 7(ii), अध्याय 4-एच, खंड V के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण मामलों में उच्च न्यायालय की डिक्री तैयार करते समय लागत के ज्ञापन में एक वकील की फीस का आकलन या मात्रा कैसे और किस तरीके से निर्धारित की जानी चाहिए" यह निम्नलिखित तथ्यों पर उत्पन्न होता है:-

(2) 1980 के नियमित प्रथम एपनील नंबर 148 में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 18 के तहत एक संदर्भ पर भूमि अधिग्रहण न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा दायर किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई क्रॉस-आपत्तियों को इस न्यायालय ने 24 नवंबर, 1960 को आनुपातिक लागत के साथ अनुमति दी थी। लागत की गणना के समय, कार्यालय, प्रचलित प्रथा के अनुसार, वकील की फीस की मात्रा के संबंध में न्यायाधीश के आदेश प्राप्त करने के लिए कागजात प्रस्तुत करता है। इसके बाद दावेदार-याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए और विभिन्न आधारों पर इसे चुनौती देते हुए यह विविध याचिका दायर की।

(3) इस संबंध में इस न्यायालय में प्रचलित प्रथा यह है कि जब अधिनियम के तहत एक नियमित प्रथम अपील का फैसला एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो मामला लागत ज्ञापन की तैयारी के लिए शाखा में वापस चला जाता है। लागत का ज्ञापन तैयार करते समय, कार्यालय मामले को विद्वान न्यायाधीश को सौंपता है और वकील की फीस की मात्रा के संबंध में उनके आदेश की मांग करता है। यह प्रक्रिया इस तथ्य के बावजूद अपनाई गई है कि वकील ने अपना शुल्क प्रमाणपत्र न्यायालय में लगाया है। विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट शुल्क को लागत के ज्ञापन में वकील के शुल्क के

रूप में जोड़ा जाता है।

(4) हमें बताया गया है कि यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V के अध्याय 6-1 के नियम 8 के मद्देनजर अपनाई गई है क्योंकि भूमि अधिग्रहण मामलों में कार्यवाही को विविध कार्यवाही के रूप में माना जाता है।

(5)दावेदारों के वकील का रुख यह है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में नियमित प्रथम अपील या उस पर प्रति-आपत्तियों को संभवतः लागत का ज्ञापन तैयार करने के प्रयोजनों के लिए विविध कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है। बल्कि, विद्वान वकील के अनुसार, इन मामलों को विशिष्ट संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे के रूप में माना जाना चाहिए और वकील की फीस का आकलन या निर्धारित संपत्ति के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। विशिष्ट रकम की वसूली के लिए दायर किए गए अन्य सभी मामलों या मुकदमों की तरह। उनका आगे का रुख यह है कि एक बार न्यायालय ने किसी अपील या उस पर प्रति-आपत्ति पर आदेश पारित कर दिया है, तो उसे लागत (या आनुपातिक लागत) के साथ अनुमति दे दी जाती है। फिर पक्ष या उसके वकील की अनुपस्थिति में वकील की फीस की मात्रा निर्धारित करने के लिए मामले को न्यायाधीश के पास नहीं भेजा जाना चाहिए। अपने उपर्युक्त तर्क का समर्थन करने के लिए, विद्वान वकील तर्क की इस प्रक्रिया को अपनाता है।

(6) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के अनुसार, (डब्ल्यू) उपधारा 1921 के भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम XIX की धारा 2 द्वारा संशोधन के माध्यम से लाई गई थी। भूमि अधिग्रहण न्यायालय द्वारा एक डिक्री माना जाना चाहिए और ऐसे प्रत्येक पुरस्कार के आधार का विवरण, क्रमशः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2, खंड (2) और (9) के अर्थ के भीतर एक निर्णय होना चाहिए। इस तरह के पुरस्कार या उसके एक हिस्से के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है और इसके अलावा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसलिए,

विद्वान वकील के अनुसार, यह इस प्रकार है कि किसी निर्णय और डिक्री की अपील पर उच्च न्यायालय का निर्णय भी एक निर्णय और डिक्री है। यह इस कानूनी स्थिति के आधार पर है कि भूमि अधिग्रहण न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को अदालती शुल्क और सीमा आदि के प्रयोजनों के लिए नियमित प्रथम अपील के रूप में माना जाता है। एक पत्र पेटेंट अपील पारित डिक्री के खिलाफ एक डिवीजन बेंच के समक्ष विचारणीय है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा. यह भी बताया गया है कि अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के मद्देनजर, सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है, सिवाय इसके कि यह प्रक्रिया अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ के अनुरूप नहीं है। . यह आवश्यक रूप से अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 की प्रयोज्यता को आकर्षित करता है क्योंकि उस प्रावधान में अधिनियम के प्रावधानों के साथ कुछ भी असंगत नहीं है। हम पाते हैं कि विद्वान वकील द्वारा बताई गई उपरोक्त कानूनी स्थिति पूरी तरह से मान्य है।

(7) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में कहा गया है कि ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, सभी मुकदमों की लागत और घटना न्यायालय के विवेक पर होगी। और न्यायालय के पास यह निर्धारित करने की पूरी शक्ति होगी कि किसके द्वारा, किस संपत्ति से और किस हद तक ऐसी लागत का भुगतान किया जाना है और उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अन्य सभी आवश्यक निर्देश देने के लिए। संहिता में "निर्धारित" को नियमों द्वारा निर्धारित अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है और "नियम" का अर्थ पहली अनुसूची में निहित या धारा 122 या उसकी धारा 125 के तहत बनाए गए नियमों और रूपों से है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 35, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय के विवेक को केवल उन शर्तों और सीमाओं द्वारा ही छीना जा सकता है जो कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। यदि ऊपर उल्लिखित उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में कोई नियम

निहित है, तो संहिता की धारा 122 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कौन से नियम निर्विवाद रूप से बनाए गए हैं। फिर लागत का आकलन या निर्धारण करने की शक्ति को मामले को कवर करने वाले नियमों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए और इसे विद्वान न्यायाधीश के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दावेदारों के विद्वान वकील के अनुसार मामले को नियंत्रित करने वाले नियम उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V के अध्याय 6-1 के भाग I में निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों में से, जो विद्वान वकील के अनुसार, विशेष रूप से देय शुल्क से संबंधित हैं (विशिष्ट संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमों में अपने प्रतिद्वंद्वी के वकील के शुल्क के संबंध में एक पक्ष द्वारा लागत के रूप में और जो केसइनहैंड के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं)), नियम 1 है जिस पर विद्वान वकील द्वारा अपनी दलील के समर्थन में प्राथमिक निर्भरता रखी गई है और यह नियम इस प्रकार है:

1. विशिष्ट संपत्ति या विशिष्ट संपत्ति के हिस्से की वसूली के लिए, चाहे वह चल हो या अचल, या किसी अनुबंध के उल्लंघन या क्षति के लिए मुकदमों में-

(ए) यदि संपत्ति, ऋण या क्षति की डिक्री की राशि या मूल्य न्यायालय में अपील के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन के अनुसार पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, तो शुल्क की गणना साढ़े सात प्रतिशत पर की जाएगी (73, प्रतिशत) डिक्री की गई राशि या मूल्य पर, लेकिन न्यायालय, किसी भी मामले में, ऐसे प्रतिशत का आदेश और निर्धारण कर सकता है जो उचित और न्यायसंगत प्रतीत होगा;

(बी) यदि डिक्री की गई राशि या मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक होगी, तो देय शुल्क की गणना ऐसे प्रतिशत पर की जाएगी जो न्यायालय को उचित और न्यायसंगत प्रतीत होगी।

इन नियमों के नियम 12 में कहा गया है कि अपील में शुल्क की गणना मूल मुकदमों के समान पैमाने पर की जाएगी और उपरोक्त नियमों के सिद्धांतों को मूल मुकदमों के समान ही लागू किया जाएगा जैसा कि अपीलों में किया जा सकता है।

(8) दूसरे पक्ष के वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि उपर्युक्त नियम अर्जित संपत्ति के मुआवजे के दावों पर लागू नहीं होता है। बल्कि यह उस डिक्री पर लागू होता है जो किसी विशिष्ट संपत्ति या विशिष्ट चल या अचल संपत्ति के हिस्से की वसूली के लिए एक मुकदमे में दी गई है। वकील के अनुसार, अधिग्रहण की कार्यवाही में मुआवजे के दावे को किसी विशिष्ट संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा नहीं कहा जा सकता है। पक्षों के विद्वान वकील के संबंधित विवादों की जांच करने के लिए, "संपत्ति" शब्द के दायरे को जानना आवश्यक है और क्या धारा 18 के तहत एक संदर्भ को एक मुकदमे के रूप में माना जा सकता है।

(9) जहां तक मामले के पहले पहलू का सवाल है, इस पर मदन मोहन पाठक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य पर विचार किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बोनस देने के संदर्भ में मामले की जांच करते हुए। उनके आधिपत्य द्वारा प्रस्तुत और उत्तर दिया गया विशिष्ट प्रश्न यह था कि क्या एलएनई बीमा निगम से देय ऋण भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 (2) के अर्थ के तहत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संपत्ति थे। इस संबंध में उनके आधिपत्य द्वारा यह देखा गया: -

> “संविधान के भाग III में सन्निहित मौलिक अधिकारों की योजना से यह स्पष्ट है कि संपत्ति के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और अनुच्छेद 31 के खंड (1) और (2) में निहित है। इसका कारण यह है कि 'संपत्ति' का अनुच्छेद 19(1) (एफ) में एक अर्थ, अनुच्छेद 31, खंड (1) में दूसरा और अनुच्छेद 31, खंड (2) में एक और अर्थ नहीं हो सकता है।

तीनों अनुच्छेदों में 'संपत्ति' का अर्थ समान होना चाहिए और चूंकि ये मौलिक अधिकार सुरक्षित करने के उद्देश्य से संवैधानिक प्रावधान हैं, इसलिए उन्हें व्यापक व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए और हर प्रकार की संपत्ति को संदर्भित करने के लिए माना जाना चाहिए।

अधिकारियों की एक श्रृंखला का उल्लेख करने के बाद, जिसमें इस मामले पर पहले विचार किया गया था, उनके आधिपत्य ने आगे इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

"इसलिए, यह देखा जाएगा कि अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और अनुच्छेद 31 के खंड (2) के अर्थ में संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है, मूर्त या अमूर्त, जिसमें ऋण और कार्रवाई में विकल्प शामिल हैं। जैसे वेतन, पेंशन, नकद अनुदान और संवैधानिक रूप से संरक्षित प्रिवी पर्स का अवैतनिक संचय। इसलिए, वार्षिक नकद बोनस के संबंध में जीवन बीमा निगम से देय ऋण, स्पष्ट रूप से, अनुच्छेद 31(2) के अर्थ के तहत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संपत्ति थे।

इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि "संपत्ति" में ऋण और कार्रवाई में चुने गए, या दूसरे शब्दों में वह रकम शामिल होगी जिसका दावा अदालत के माध्यम से लागू करने योग्य कानूनी अधिकार के आधार पर किया जा सकता है। हमारे विचार से, उपरोक्त उद्धृत नियम के संदर्भ में "संपत्ति" शब्द को एक अलग अर्थ नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे का दावा इस नियम में प्रयुक्त "संपत्ति" के अर्थ में आएगा।

(10) जहां तक मामले के दूसरे पहलू का संबंध है, जैसा कि पहले नहीं था, हम पाते हैं कि जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, यह कोई पूर्व शर्त नहीं है। फुमान और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2) में, एक विशिष्ट तर्क उठाया गया था कि अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आवेदन को एक मुकदमे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और आवेदक को वादी नहीं कहा

जा सकता है, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। . यह मानते हुए कि अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आवेदन को एक मुकदमा और आवेदक को एक वादी के रूप में माना जाना चाहिए। इस घोषणा के लिए, जेज़रा बनाम भारत के राज्य सचिव (3), फकीर चंद और अन्य बनाम नगरपालिका समिति हाज़रो (4), और रुस्तमजी जिजीभाई और अन्य के मामले से संबंधित पहले के निर्णयों पर भरोसा किया गया था। (5). अन्यथा भी, हम पाते हैं कि संहिता में "सूट" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संहिता की धारा 26 के संदर्भ में, इसे एक वादपत्र प्रस्तुत करके या किसी अन्य तरीके से, जो निर्धारित किया जा सकता है, शुरू की गई एक सिविल कार्यवाही के रूप में लिया जा सकता है। यदि भूमि अधिग्रहण न्यायालय के पुरस्कार को अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के प्रावधानों के मद्देनजर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (2) के संदर्भ में डिक्री माना जाना है। फिर उस डिक्री के परिणामस्वरूप होने वाली प्रक्रिया या कार्यवाही को एक मुकदमे के रूप में माना जाना चाहिए। यदि अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (2) में निहित "मान्य प्रावधान" को पूर्ण प्रभाव दिया जाना है तो यह सच्चा कानूनी परिणाम है। कानून का यह प्रस्ताव ईस्ट एंड ड्वालिंग्स कंपनी लिमिटेड बनाम फाइनबरी बरो काउंसिल (6) में बिशपस्टोन के लॉर्ड एस्क्विथ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा अच्छी तरह से समर्थित है, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था। एम. के. वेंकटचलम के मामले में, आई.टी.ओ. और दूसरा बनाम बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (7):

> “यदि आपको किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित न किया जाए। उन परिणामों और घटनाओं की भी वास्तविक रूप से कल्पना करें, जो यदि कथित स्थिति वास्तव में मौजूद होती, तो अनिवार्य रूप से उससे उत्पन्न होती या उसके साथ होती। इस मामले में उनमें से एक 1939 के लगान के स्तर से मुक्ति है। क़ानून कहता है कि आपको निश्चित मामलों की कल्पना करनी चाहिए; इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के

अपरिहार्य परिणामों की बात आती है तो आपको अपनी कल्पना को भटकने देना चाहिए या इसकी अनुमति देनी चाहिए।

इसके अलावा ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां विभिन्न अधिनियमों के तहत दायर आवेदनों या याचिकाओं को मुकदमे के रूप में माना गया है। बलराम सिंह बनाम दूध नाथ और अन्य, (81) में, यूपी कृषक राहत अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर एक आवेदन को धारा में आने वाले शब्दों "ऐसे अन्य तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है" के मद्देनजर एक मुकदमा माना गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के 26। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 के तहत एक आवेदन को हयातखान और अन्य बनाम मांगीलाल और अन्य (9) में एक मुकदमा माना गया था।

उन कार्यवाहियों पर परिसीमा अधिनियम की धारा 6 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर विचार करते समय। इसी तरह, एस. पी. कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (10) मामले में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आवेदन को एक मुकदमा माना गया था। भले ही शुरू की गई कार्यवाही को एक वाद की प्रस्तुति पर शुरू नहीं किया गया माना जाता था। इस प्रकार हमें यह मानने में थोड़ी भी झिझक नहीं है कि अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आवेदन को एक वादपत्र के रूप में माना जाना चाहिए और इसके आधार पर कार्यवाही को मुकदमे में कार्यवाही के रूप में और परिणामी पुरस्कार को एक डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए। उपर्युक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम लागत का ज्ञापन तैयार करते समय वकील के शुल्क का निर्धारण या गणना करने के उद्देश्य से दावेदार/याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की प्रस्तुति को स्वीकार करते हैं। भूमि अधिग्रहण मामले में इस न्यायालय की डिक्री को विशिष्ट संपत्ति के मुकदमे में पारित माना जाएगा और ऐसी डिक्री से संबंधित खंड V के अध्याय 6-1 में निहित नियमों को उपरोक्त उद्देश्य के लिए सूचित किया जाना चाहिए। . यह पूरी तरह से अस्थिर है कि इन डिक्री को उपरोक्त नियमों के नियम 8

के संदर्भ में विविध कार्यवाही में डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए। वास्तव में नियम 8 केवल डिक्री पारित होने से पहले किसी मुकदमे में विविध कार्यवाहियों पर लागू होता है, डिक्री पर नहीं।

(11) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, कार्यालय को ऊपर की गई टिप्पणियों और उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय 6-1, खंड V में निहित नियमों के आलोक में लागत का ज्ञापन तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

एस.एस. संधावलिया, सी.जे.- मैं सहमत हूं।

(1) ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 803
(2) आई.एल.आर. 1963 पंजाब 442.
(3) आई.एल.आर. 32 कैल. 605
(4)59 पी.आर.1913.
(5) आई.एल.आर 30 बम्बई 341.
(6)1952 ए.सी.109.
(7) ए.आई.आर.;1958 एस.सी. 875
(8) ए.आई.आर. (36)1949 इलाहबाद 110.
(9) ए.आई.आर. 1971 म.प्र. 140.
(10) ए.आई.आर. 1966 कलकत्ता 259

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy